



2011

दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 482

टेलीफैक्स/Telefax: 0177-2651 419



भारत सरकार, गृह मन्त्रालय

Government of India, Ministry of Home Affairs

निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश

Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh

दूर/Telegram: हिम-जनगणना/Him-Census

ई-मेल/E-mail: dco-him.rgl@censusindia.gov.in

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्रि खण्ड, लौगवुड, शिमला-171 001

C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-II

दिनांक :

निविदा आमंत्रण पत्र

सेवा में,

विषय- जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा सरकारी कार्य के लिए ट्रक/ पिक-अप इत्यादि की दरों हेतु निविदा आमंत्रण।

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला, द्वारा सरकारी कार्य के लिए किराये पर ट्रक / पिक-अप इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु मुहर बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

अनुबन्ध के अंतर्गत सामान्य कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

1. इस कार्यालय के आदेशानुसार बताये गये निश्चित समय एवं अवधि के लिये आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध करने होंगे।
2. अनुबन्ध के अंतर्गत वाहन के खराब होने की स्थिति में मरम्मत आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म की होगी तथा वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।
3. वाहन हेतु पेट्रोल/डीजल आदि पर फर्म द्वारा ही व्यय किया जायेगा।
4. बिल की दो प्रतियाँ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बिल का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा। नियमानुसार आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा तथा वाहन मालिक अन्य टैक्स/सेवा शुल्क आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

निविदा की निबंधन एवं शर्तें इस प्रकार हैं :

1. निविदाएँ, उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्रि खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लौगवुड शिमला 1-के नाम दिनांक 17/08/2015 को 11:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली निविदा तथा फैंक्स/ई-मेल से प्राप्त हुई निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निदेशालय किसी भी कारण वश निविदा (Bid) के अप्राप्त या देरी से प्राप्त होने पर जिम्मेवार नहीं होगा।
2. निविदाएँ, उसी दिन, दिनांक 17/08/2015 को 11:30 बजे इस कार्यालय की गठित कमेटी द्वारा खोली जाएंगी।
3. निविदा आमंत्रण पत्र में दी गई शर्तों को ठीक से अध्ययन करने के उपरांत संतुष्ट होने पर ही कोटेशन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
4. निविदाएँ, गठित कमेटी द्वारा खोलने के दौरान जिस फर्म की राशि न्यूनतम होगी उसी को सफल निविदाकार माना जाएगा। अतः रेट एकमुश्त भारतीय मुद्रा में ही कोट करें। उद्धरित दर सभी कर/वैट इत्यादि सहित होनी चाहिए।
5. सभी फर्मों द्वारा निविदाएँ संलग्न निर्धारित प्रोफॉर्मों में प्रस्तुत करनी होगी।
6. दरें निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के अनुसार कॉलम संख्या 3 से 5 तक सभी में कोट करना अनिवार्य है।
7. उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को कोई भी कारण बताए बिना स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखते हैं।
8. निविदा दरों के अलावा किसी भी अन्य तरह के खर्च अथवा करों इत्यादि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। सूचना/स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो वह श्री आशीष चौहान, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्रि खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लौगवुड शिमला - 1, से व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष (0177-2651419) पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
9. अग्रिम धन (EMD) के रूप में 2000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट "सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला" के नाम से जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय अनिवार्य है।
10. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा मु.10,000/- रुपये जेकि "सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला" के नाम पर देय हो जमा करवाना होगा।
11. अनुबन्ध हेतु कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रोफॉर्मों में अनुबन्धित फर्म को हस्ताक्षर करने होंगे।

12. फर्म द्वारा अनुबन्ध, हस्ताक्षर दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।
13. फर्म द्वारा वर्ष के तहत किए गए कार्य से संतुष्ट होने पर, उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लॉगवुड शिमला-1 अनुबन्ध को आगामी वर्ष हेतु भी विस्तार करने का अधिकार रखते हैं।
14. यदि अनुबन्ध के उपरांत अनुबन्धित फर्म द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जमा धरोहर राशि (मु. 10,000/-) जब्त कर ली जाएगी।
15. केवल रजिस्टर्ड फर्म की निविदा ही स्वीकार की जायेगी। निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
16. फर्म को सरकारी कार्यालय में किये गये काम का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17. पिछले दो वर्षों के Income tax Clearance Certificate की प्रति भी निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न भेजे।
18. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य है। वाहन का रोड टैक्स/ बीमा/ सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेंसिव) अद्यतन होना चाहिए।
19. अनुबन्ध के समय उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन के समस्त दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि की फोटोकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
20. अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रशिक्षित एवं अनुभवी ड्राइवर ही स्वीकार किया जायेगा।
21. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा लगभग तीन साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिये।
22. प्रत्येक कार्य पूर्ण होने पर ड्राइवर को गाड़ी के किलोमीटर चलने सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. ड्राइवर के पास टेलीफोन सुविधा होनी ताकि आवश्यकता पड़ने पर ड्राइवर से सम्पर्क किया जा सके।
24. अनुबन्धित फर्म को सरकारी अवकाश के दिन भी यदि कार्यालय को ट्रक/पिकअप इत्यादि की आवश्यकता है तो समय पर मांगे गये वाहन को समयानुसार उपलब्ध करवाना होगा।
25. वाहन शिमला में अथवा सरकारी दौरा हेतु हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले के शहर में जाने पर, दी गई दरों के अतिरिक्त अन्य भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
26. फर्म द्वारा उपलब्ध किया गया वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए। यह इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपलब्ध किया गया वाहन कार्य हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि यह कार्यालय वाहन को स्वीकार नहीं करता तो फर्म को उपयुक्त वाहन तुरंत उपलब्ध करवाना होगा।
27. दुर्घटना इत्यादि होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। वाहन की रिपेयरिंग एवं कानूनी मामलों में कार्यालय कोई हस्ताक्षर नहीं करेगा।
28. किन्हीं भी कारणों से वाहन का चालान इत्यादि होने की स्थिति में फर्म की यह जिम्मेदारी होगी कि वह चालान का भुगतान करें। यह कार्यालय किसी भी तरह के चालान का भुगतान नहीं करेगा।
29. ड्राइवर के खान पान एवं रहने इत्यादि की व्यवस्था एवं खर्च की जिम्मेदारी भी फर्म की होगी।
30. यह निविदा, स्थानांतरणीय नहीं है अतः अनुबन्ध होने के उपरांत किसी अन्य फर्म को निविदा/अनुबन्धित कार्य, स्थानांतरित नहीं की जा सकती है।
31. कार्यालय किये गये अनुबन्ध को बिना कोई कारण बताये सात दिन (7 दिन) पहले पूर्व सूचना देकर समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
32. कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय शिमला का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
33. किसी भी विवाद या भिन्नता के मामले में शिमला क्षेत्राधिकार होगा।
34. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र पर दर कोट करें दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में अग्रिम धन (EMD) के रूप में 2000/- रूप का डिमाण्ड ड्राफ्ट जम्ब्त कर लिया जायेगा अतः यह सुनिश्चित कर ले कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध है अथवा नहीं:-
 - (i) पिछले दो वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्नस की प्रतियां।
 - (ii) फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बंधित प्रमाण पत्र की प्रति।
 - (iii) पैन न. की प्रति।
 - (iv) (EMD) के रूप में 2000/- रूप का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
 - (v) सरकारी कार्यालय में किये गये काम का अनुभव प्रमाण पत्र।
35. निम्नलिखित दस्तावेज अनुबन्ध करने के उपरांत प्रस्तुत करने होंगे:-
 - (i) ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति तथा तीन साल का अनुभव प्रमाण पत्र।
 - (ii) वाहन के आवश्यक दस्तावेजों की प्रति।
 - (iii) धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीकृत बैंक के चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा मु. 10,000/- रुपये।

भवदीय,

हस्ता

(जसपाल सिंह)

उपनिदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्री खण्ड, लोंगवुड,

शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

13 JUL 2015

✓ प्रतिलिपि .1 :WEB.Cell, ORGI, New Delhi को इस आशय से ORGI Web Site में upload करवाने की कृपा करें।

जसपाल सिंह

(जसपाल सिंह)

उपनिदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, हिमाद्री खण्ड, लोंगवुड,

शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001-

31/7/15

निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रेषक:

सेवा में,

उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ.कम्प्लेक्स, हिमाद्री खण्ड, लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171001-

महोदय,

उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या डी.सी.ओ.एच.पी.26/2015-II दिनांक 31/07/2015 के प्रति निर्देश से, मैं उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला को, जो भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं सरकारी कार्य के लिए ट्रक इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित दर कोट करता हूँ

Truck					
Sl. No.	Model of Vehicle	Rate Per Km (Rs.)	Rate Per Hour(Rs.)	Per Quintal Charges (Rs.)	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pick up				
2.	Tata -407				
3.	Other if any				

नोट : दरें सभी करों /वैट इत्यादि से सम्मिलित होनी चाहिए। उपरोक्त सारणी में कॉलम संख्या 3 से 5 तक स्पष्ट जानकारी भरना अनिवार्य है।

मैंने निविदाकारों के लिए अनुरोधों और संविदा की साधारण शर्तों को तथा उस पत्र में जिसके प्रत्युत्तर मैं यह निविदा प्रस्तुत की जा रही है उल्लिखित निबंधनों और शर्तों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं उपयुक्त दस्तावेजों में अंतर्विष्ट उपबन्धों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ।

दिनांक निविदाकार के नाम

स्थान निविदाकार के हस्ताक्षर.....